

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय  
भा0प्र0से0  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,  
बिहार।

पटना, दिनांक-25/4/2017

विषय:-

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-00-115-अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि-0003-सर्किट भवन, गैर योजना, मांग सं0-33, (विपत्र कोड-33-2070001150003) के अन्तर्गत व्यय के लिए कुल ₹ 1,26,00,000/- (एक करोड़ छबीस लाख रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-00-115-अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि-0003-सर्किट भवन, गैर योजना, मांग सं0-33, (विपत्र कोड-33-2070001150003) के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिए कुल ₹ 1,26,00,000/- (एक करोड़ छबीस लाख रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 428 दिनांक 31.03.2017 के आलोक में दिया जा रहा है।
3. राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
4. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
5. संविदा सेवाएँ विषय शीर्ष में आवंटित राशि से सिर्फ संविदा पर कार्यरत कर्मियों के मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
6. जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मों नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
7. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
8. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
9. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
10. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

कृ०प०उ०

11. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
  12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
  13. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
  14. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
- अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन



(दयानिधान पाण्डेय)  
सरकार के अपर सचिव

**बिहार सरकार**  
**सामान्य प्रशासन विभाग**

स्वीड पोस्ट/ई-मेल

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय  
भा0प्र0से0  
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,  
बिहार।

पटना, दिनांक- 2017

**विषय:-** वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में बजट मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-00-115-अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि-0003-सर्किट भवन, गैर योजना, मांग सं0-33, (विपत्र कोड-33-2070001150003) के अन्तर्गत व्यय के लिए कुल ₹ 1,26,00,000/- (एक करोड़ छबीस लाख रुपये) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित बजट मुख्य शीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ- 00-115-अतिथि गृह, सरकारी होस्टल आदि-0003-सर्किट भवन, गैर योजना, मांग सं0-33, (विपत्र कोड-33-2070001150003) के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिए कुल ₹ 1,26,00,000/- (एक करोड़ छबीस लाख रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

- यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 428 दिनांक 31.03.2017 के आलोक में दिया जा रहा है।
- राशि का व्यय वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17 अप्रैल 1998 एवं एतद् संबंधी अन्य पत्रों के आलोक में किया जायेगा।
- आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियमित रूप से नियुक्त कर्मों को ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- संविदा सेवाएँ विषय शीर्ष में आवंटित राशि से सिर्फ संविदा पर कार्यरत कर्मियों के मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
- जिस पद के विरुद्ध संविदा पर कर्मों नियुक्त हैं, उनका भुगतान उसी पद से संबंधित बजट शीर्ष से किया जाये।
- कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
- बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
- किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
- नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

कृ०पृ०स०


11. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
  12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
  13. आवंटित राशि का विचलन अन्य इकाई में अनुमान्य नहीं है।
  14. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि, अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
- अनु०:- यथोक्त।

विश्वासभाजन  
ह०/-  
(दयानिधान पाण्डेय)  
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-5/बजट 1-04/2017 सा०-.....5.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनांक-25/4/2017

  
सरकार के अपर सचिव

वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय के लिए (बजट शीर्ष 2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 115 अतिथि गृह सरकारी होस्टल आदि 0003 सर्किट भवन) आवंटन:-

क्र० सं०	जिला का नाम	वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	योग-वेतन एवं भत्ते	कार्यालय व्यय	दूरभाष	विद्युत प्रभार	वर्दी/पोशाक	संबन्धि सेवाएँ	कुल
		कूट संख्या -	01 01	01 03	01 04	01 06		01 07	13 01	13 03	13 04	13 06	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	पटना	1,50,000	2,25,000	12,000	15,000	15,000	4,17,000	30,000	2,000	1,00,000	3,000	3,00,000	8,52,000
2	भोजपुर	1,25,000	1,75,000	10,000	10,000	10,000	3,30,000	30,000	1,000	80,000	0	50,000	4,91,000
3	बक्सर	0	0	0	0	0	0	15,000	1,000	80,000	0	1,00,000	1,96,000
4	रोहतास	0	0	0	0	0	0	15,000	1,000	80,000	0	50,000	1,46,000
5	कैमूर(भभुआ)	0	0	0	0	0	0	15,000	1,000	60,000	0	50,000	1,26,000
6	नालन्दा	0	0	0	0	0	0	15,000	1,000	60,000	0	2,00,000	2,76,000
7	गया	1,50,000	2,00,000	12,000	15,000	15,000	3,92,000	15,000	2,000	80,000	2,000	2,00,000	6,91,000
8	नवादा	0	0	0	0	0	0	15,000	1,000	80,000	0	50,000	1,46,000
9	जहानाबाद	1,25,000	2,00,000	12,000	10,000	10,000	3,57,000	15,000	1,000	60,000	1,000	50,000	4,84,000
10	औरंगाबाद	1,25,000	2,00,000	12,000	15,000	15,000	3,67,000	15,000	1,000	80,000	0	50,000	5,13,000
11	अरवल	0	0	0	0	0	0	15,000	1,000	60,000	0	50,000	1,26,000
12	मुजफ्फरपुर	1,00,000	1,25,000	10,000	10,000	10,000	2,55,000	15,000	1,000	60,000	2,000	1,50,000	4,83,000
13	सीतामढ़ी	0	0	0	0	0	0	15,000	1,000	60,000	0	50,000	1,26,000
14	पूंचम्यारण	1,00,000	1,25,000	10,000	10,000	10,000	2,55,000	15,000	1,000	60,000	2,000	50,000	3,83,000
15	पठम्यारण	1,50,000	1,75,000	10,000	10,000	10,000	3,55,000	15,000	1,000	60,000	0	50,000	4,81,000
16	शिवहर	0	0	0	0	0	0	15,000	1,000	60,000	0	50,000	1,26,000
17	वैशाली	1,00,000	1,25,000	10,000	10,000	10,000	2,55,000	15,000	1,000	60,000	1,000	50,000	3,82,000
18	दरभंगा	1,50,000	2,00,000	12,000	15,000	15,000	3,92,000	15,000	1,000	60,000	1,000	1,00,000	5,69,000
19	मधुबनी	2,00,000	2,50,000	10,000	10,000	10,000	4,80,000	15,000	1,000	60,000	1,000	50,000	6,07,000
20	समस्तीपुर	2,00,000	2,25,000	10,000	10,000	10,000	4,55,000	15,000	1,000	60,000	2,000	50,000	5,83,000
21	सारण	1,50,000	2,00,000	10,000	10,000	10,000	3,80,000	15,000	1,000	80,000	2,000	1,00,000	5,78,000
22	सिवान	0	0	0	0	0	0	15,000	1,000	60,000	0	50,000	1,26,000
23	गोपालगंज	0	0	0	0	0	0	15,000	1,000	60,000	0	50,000	1,26,000
24	भागलपुर	1,00,000	1,25,000	12,000	15,000	15,000	2,67,000	15,000	1,000	80,000	2,000	1,00,000	4,65,000
25	बाँका	0	0	0	0	0	0	15,000	1,000	60,000	0	50,000	1,26,000
26	मुंगेर	1,00,000	1,25,000	5,000	5,000	5,000	2,40,000	15,000	1,000	60,000	0	50,000	3,66,000
27	लखीसराय	0	0	0	0	0	0	15,000	1,000	60,000	0	1,00,000	1,76,000
28	शेखपुरा	0	0	0	0	0	0	15,000	1,000	60,000	0	50,000	1,26,000
29	जमुई	75,000	1,00,000	10,000	5,000	5,000	1,95,000	15,000	1,000	80,000	0	50,000	3,41,000
30	खगड़िया	0	0	0	0	0	0	15,000	1,000	80,000	0	50,000	1,46,000
31	बेगूसराय	1,75,000	2,25,000	10,000	10,000	10,000	4,30,000	15,000	1,000	60,000	1,000	50,000	5,57,000
32	पूर्णिया	1,00,000	1,50,000	10,000	10,000	5,000	2,75,000	15,000	1,000	80,000	0	1,00,000	4,71,000
33	कटिहार	0	0	0	0	0	0	15,000	1,000	80,000	0	50,000	1,46,000
34	अररिया	0	0	0	0	0	0	15,000	1,000	80,000	0	50,000	1,46,000
35	किशनगंज	0	0	0	0	0	0	15,000	1,000	60,000	0	50,000	1,26,000
36	सहरसा	1,25,000	1,50,000	13,000	5,000	10,000	3,03,000	15,000	1,000	80,000	0	1,40,000	5,39,000
37	मधेपुरा	0	0	0	0	0	0	15,000	1,000	60,000	0	50,000	1,26,000
38	सुपौल	0	0	0	0	0	0	15,000	1,000	60,000	0	50,000	1,26,000
	कुल योग -	25,00,000	33,00,000	2,00,000	2,00,000	2,00,000	64,00,000	6,00,000	40,000	26,00,000	20,000	29,40,000	126,00,000

(एक करोड़ छत्तीस लाख रुपये) मात्र।

सरकार के अपर सचिव  
सामान्य प्रशासन विभाग